

अहकार  
हुकम की  
जारी हुई

## प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)

पिठासीन अधिकारी:-साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

सुरेश कुमार पुत्र बनारसी लाल केडीया बनाम मुन्नी देवी व अन्य

दावा बाबत घोषणार्थ बंटवारा

मुकदमा नम्बर :- 86/2021

### निर्णय

निर्णय दिनांक :- 8.12.2021

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम ग्राम मलसीसर पटवार हल्का मलसीसर के खसरा नम्बर 681 रकबा 0.67 हैक्टर बारानी-1 में से वादी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काशत के अनुसार विधिवत् विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/- रुपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के मध्य विधिवत् विभाजन मय रास्ते का प्रावधान रखते हुए किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के दो प्रतियों में न्यायालय में पेश करे।

.निज,,-.....-.....मुबलिक-.....-दाबन,.....-.....खर्चा  
इस मुकदमें के मय सूद बशरह-.....फसीदी आज की तारीख से तारीख तक-.....  
.....को अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08 माह 12 सन् 2021 को जारी की गई।



(साधुराम जाट/RAS)  
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर  
प्रचार अहकार, मलसीसर  
प्रशासनिक कार्यालय, मलसीसर  
8.12.2021